<u>समाचार</u>

जिला जेल में खाद्यान्नों के क्रय हेतु आमंत्रित किए गए कोटेशन

कोरबा 04 जून 2019 —जेल अधीक्षक जिला जेल कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल के बंदियों के लिए लगने वाले सूची अनुसार खाद्यान्नों का क्रय किया जाना है, जिस हेतु इच्छुक व्यापारियों से 06 जून 2019 शाम 04 बजे तक जेल कार्यालय में कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं।

जेल अधीक्षक जिला जेल कोरबा ने समस्त इच्छुक व्यापारियों को कोटेशन आमंत्रित किए जाने की सूचना देते हुए बताया है कि समस्त खाद्यान वस्तुएं उचित औसत किस्म की ली जावेगी। खाद्यान्न वस्तुएं जेल गेट पर ली जावेगी, खाद्यान्नों के भाव पर किसी भी प्रकार का टैक्स देय नहीं होगा तथा निविदाकार को विगत तीन वर्ष का आयकर टी.डी.एस. रिटर्न का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार को खाद्यान्न भण्डारण एवं क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार को शासकीय विभाग में 01 वर्ष का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की सप्लाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। खाद्यान्नों का भाव तहसील भाव के आधार पर न्यूनतम दर पर तय किया जायेगा। जेल क्रय समिति द्वारा तय किए गए दर पर अन्य किसी भी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा। किसी भी विवाद में जेल अधीक्षक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।